



लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रीय चेतना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

राम जुवारी पी. एच. डी. शोधार्थी

इतिहास विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, (म०प्र०)

डॉ० श्रीमती सुधा सोनी, प्राध्यापक इतिहास विभाग

शासकीय कन्या स्नातकोत्तर, महाविद्यालय रीवा (म०प्र०)

सारांश

स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक जन्म से केशव गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतन्त्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता तिलक ही थे। हिन्दू राष्ट्रवाद का पिता और अशान्ति के पिता के नाम से कहलाये जाने वाले तिलक ने भारत के संघर्ष के दौरान भविष्य क्रांतिकारियों के लिए "स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा" नारा दिया था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ और स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरणा के रूप में इसने कार्य किया।

मूल शब्द : राष्ट्रीय, स्वतंत्रता, संग्राम, योगदान, भारतीय राजनितिक चेतना इत्यादि।

प्रस्तावना

भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ। अंग्रेजी शासन काल के अंतर्गत विभिन्न कारणों से भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उस समय भारत को एक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि भारत के संदर्भ में राष्ट्रवाद आधुनिक युग की देन है। ब्रिटिश शासन और विश्व को प्रभावित करने वाली प्रवृत्तियों की वजह से ही भारतीय समाज में उत्पन्न एवं विकसित विभिन्न आत्मनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ कारणों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ब्रिटिश काल में भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ।

राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीयता जागरण क्या ब्रिटिश शासन की देन है? इस प्रश्न पर विद्वानों ने मतभेद है। विशेष रूप से उपनिवेशवादी इतिहासकार भारतीय राष्ट्रीय जागरण में विदेशी शासकों की भूमिका का बहुत अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार के विचारको में कुछ भारतीय विद्वान भी अंग्रेजी शिक्षा और प्रशासन के आवेदन को बढ़ा चढ़ाकर आँकते हैं। पर सच्चाई यह है कि ऐसी सभी धारणाएँ साम्राज्यवादी समर्थकों की चाल थी जिसका एक खास उद्देश्य यह



था कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद कि एक उदारवादी कल्याणकारी शासन के रूप में पेश किया। परंतु दस्तावेजों से साफ जाहिर होता है कि अंग्रेज भारत में किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद नहीं जगाना चाहते थे । उनका उद्देश्य भारत पर नियंत्रण कर अपने कारखानों में निर्मित माल को बाजार उपलब्ध कराना था, कच्चे माल की आवश्यकता भी भारत से पूरी हो ये उनके लिए दोहरा लाभ था । हमने भारत को तलवार से जीता है और तलवार से ही हम उसे अपने कब्जे में बनाए रख रहे हैं कि वह ब्रिटिश माल की निकासी का सबसे अच्छा रास्ता है ।

भारत में राष्ट्रीयता चेतना अथवा राष्ट्रीयता जागरण अंग्रेजों की देन नहीं था अंग्रेजों के लगातार बढ़ते शोषण अत्याचारों से जनता के अहसास हो गया था कि अब हमें एक ही अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाना है . अंधा धुन्ड लुट और अकालो की मर झेलते – 2 जनता समझ गई कि इनके विरुद्ध लड़े बिना भारत को आगे बढ़ाना संभव नहीं है इसलिए इतिहासकारों और विचारकों के निष्कर्ष से यह बात सामने आयी कि राष्ट्रीयता चेतना या राष्ट्रीयता जागरण की जिन स्थितियों का अंग्रेजी राज ने जन्म दिया वह उसकी प्रसिद्ध या सद्भावना का नतीजा नहीं था वह उसकी विवशता थी और इस संग्राम के चलते- चलते भारत के महान क्रांतिवीर लोकमान्य तिलक का जन्म हुआ ।

राष्ट्र में आन्दोलन के प्रभाव

सैकड़ों विद्वानों ने लोकमान्य को अनेकानेक उपमाओं से अलंकृत कर उनके महानता पर प्रकाश डालने की चेष्टा की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने महान जीवन संघर्ष और दर्शन, महान दुर्दमनीय व्यक्तित्व, निःस्वार्थ राष्ट्रसेवा, सत्यनिष्ठ कर्तव्यपरायणता, सरल और शब्दाडम्बरहीन लेखों तथा बौद्धिक चपलता के माध्यम से जिस प्रकार भारतीय जनमानस को "स्वराज्य" रूपी राष्ट्रवादी लक्ष्य के प्रति जागरूक किया था वह स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता संग्राम की सर्वोच्च नीतिगत सफलता की पराकाष्ठा थी, क्योंकि उसके बाद साम्राज्यवादी सत्ता के पतन को क्रमवार देखा जा सकता है। अर्थात् तिलक ने उस सम्पूर्ण लौह-आवरण की नींव पर निर्मित विशाल साम्राज्यवादी सत्ता के भवन को अपने तार्किक , युक्ति-युक्त प्रहारों से, जो तत्कालीन उपलब्ध संसाधनों से निर्मित अस्त्र-शस्त्रों द्वारा किये गये थे, जर्जर कर दिया। इन अस्त्र-शस्त्रों का आविष्कार उन्होंने अपने कठोर तपस्या, महान विद्वता एवं अचूक तार्किकता से किया था,



जिनको बाद में महात्मा गांधी एवं उनके अनुयायियों ने कुछ नवीन रूप देकर प्रयोग में लाकर भारत को स्वतंत्रता के शुभ दिन का दिग्दर्शन कराया।

राजनीतिक यात्रा

तिलक और उनके समकालीन राजनीतिज्ञों में मौलिक मतभेद थे। भारतीय नेता पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे और अपनी सभ्यता और संस्कृति में उनका विश्वास समाप्त होता जा रहा था। तिलक पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की प्रधानता को समाप्त कर लोगों को भारत के प्राचीन गौरव का अनुभव कराना चाहते थे। उस समय लोगों पर अंग्रेजी नैतिक उच्चता की भी छाप थी और इसलिए वे अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति सहयोग की नीति अपना रहे थे। लेकिन तिलक इस अंग्रेजी नैतिक उच्चता के मोहजाल को काटना चाहते थे। अतः वे भारतीय नायकों के जीवन से लोगों को प्रेरणा देना चाहते थे, जो अंग्रेजी चिंतन प्रणाली से मुक्ति प्रदान करने में सहायक हो। उन्होंने शिवाजी के औरंगजेब के साथ संघर्ष को एक विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष बताया और महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाने की प्रथा आरंभ की। इसी कारण अंग्रेज लेखकों ने उन पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है किन्तु वास्तव में उनका उद्देश्य साम्प्रदायिक नहीं था। शिवाजी के जीवन से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र के लोगों को जागृत करना था। इसी प्रकार उन्होंने गणपति उत्सव को भी राष्ट्रीय जागृति में सहायक बनाया। गणपति उत्सव के अवसर पर उन्हें राजनीतिक भाषणों द्वारा लोगों को राजनीतिक शिक्षा का कार्य किया। बालगंगाधर तिलक और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों में भी मौलिक मतभेद थे। वे राजनीतिक स्वाधीनता के समक्ष सामाजिक सुधारों को गौण समझते थे। वे इस बात से सहमत नहीं थे कि हमारी सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण राजनीतिक पराधीनता हुई। उन्होंने श्रीलंका, बर्मा और आयरलैण्ड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ सामाजिक स्वतंत्रता होते हुए भी राजनीतिक पराधीनता थी। तिलक ने किसी बाहरी संस्था या सरकार द्वारा समाज सुधार किये जाने का विरोध किया। सरकारी अधिनियमों द्वारा समाज सुधार को वे अनुचित मानते थे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1889 में जुड़े। हालांकि, उसकी मध्य अभिवृत्ति, खासकर जो स्वराज्य हेतु लड़ाई के प्रति थी, वे उसके खिलाफ थे। वे अपने समय के सबसे प्रख्यात आमूल परिवर्तनवादियों में से एक थे। अल्पायु में विवाह करने के व्यक्तिगत रूप से



विरोधी होने के बावजूद, लोकमान्य तिलक 1891 एज ऑफ कंसेन्ट विधेयक के खिलाफ थे, क्योंकि वे उसे हिन्दू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देख रहे थे। इस अधिनियम ने लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था। काँग्रेस में प्रविष्ट होकर तिलक ने काँग्रेस के स्वरूप को ही बदलने का निश्चय किया। 1896 से ही वे काँग्रेस को इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि वह मजबूती दिखाये। किन्तु काँग्रेस के कुछ नेता वैधानिक आंदोलनों तथा सविनय प्रार्थना की नीति का अवलंबन कर सरकार के प्रति नरमी दिखा रहे थे। किन्तु तिलक ने कहा, मैं जानता हूँ कि हमें अपने अधिकारों के लिए माँग करनी चाहिये, पर हमें यह अनुभव करते हुए माँग करनी चाहिये कि वह माँग अस्वीकार नहीं करी जा सके। माँग प्रस्तुत करने तथा याचना करने में बहुत बड़ा अंतर है। तिलक गरम-दल के नेता तथा उग्रवादी थे। उन्होंने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। वे उदारवादियों की भिक्षावृत्ति के कट्टर विरोधी थे।

राजद्रोह के आरोप

बालगंगाधर तिलक की राजनीतिक विचारधारा अन्य समकालीन विचारकों से भिन्न थी। वे भारतीयों के लिए प्रशासन से संबंध होने का अधिकार माँगते थे, बल्कि भारत में स्वराज्य एक अधिकार के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। 1897 में महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा और फिर प्लेग फैल गया। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए बहुत ही धीमी कार्यवाही रखी। सरकार के रवैये से आतंकित होकर पूना के प्लेग कमीशनर रैण्ट तथा एक अन्य अँग्रेज अधिकारी आयर्स्ट की हत्या कर दी गई। अँग्रेज सरकार ने तिलक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर उन्हें 18 महीने की कड़ी सजा दे दी। तिलक को दी गई सजा की सर्वत्र निंदा की गई। तिलक को सजा देने से उनकी कीर्ति शिखर पर पहुँच गई। तिलक की सजा भारतीय संघर्ष के इतिहास में अत्यधिक महत्त्व रखती है, क्योंकि इससे पहले किसी पर राजद्रोह के आरोप में मुकदमा नहीं चला था। अँग्रेजी सरकार की चुनौती से आत्म-विश्वास, त्याग, बलिदान और कष्ट सहन करने के नये अध्याय का श्रीगणेश हुआ। भारतीय दंड संहिता में धारा 124-ए ब्रिटिश सरकार ने 1870 में जोड़ा था जिसके अंतर्गत “भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था।” 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124-ए में संशोधन किया और दंड संहिता में नई धारा 153-ए जोड़ी जिसके अंतर्गत “अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि



करता है यह विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है तो यह भी अपराध होगा। “बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट जी की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की होम रूल आन्दोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धी मिली, जिस कारण उन्हें “लोकमान्य” की उपाधि मिली थी। अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था।

निष्कर्ष

सन 1818 ई. में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिये स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गये थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव कौंसिल (विधायी परिषद) के चुनाव के बहिष्कार की गान्धी जी की नीति का विरोध ही नहीं किया। इसके बजाय लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिये प्रतिनिधियों को यह सलाह अवश्य दी कि वे उनके प्रत्युत्तरपूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें। देश में जब ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने की चर्चा चल रही थी, उस समय 1 अगस्त, 1920 को इस महान् विभूति का देहांत हो गया। तिलक का नाम राष्ट्र-निर्माता के रूप में सदा अमर रहेगा और भारतवासी उन्हें तब तक कृतज्ञतापूर्वक याद करते रहेंगे, जब तक देश में अपने भूतकाल पर अभिमान और भविष्य के लिए आशा बनी रहेगी। मरणोपरान्त श्रद्धाञ्जलि देते हुए गान्धी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रान्ति का जनक बतलाया।

संदर्भ सूची

1. विनोद तिवारी (2005) बाल गंगाधर तिलक, मनोज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 45-54।
2. स्विन सिनहल (2005) बाल गंगाधर तिलक, जेनेरिक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 23-27।
3. मीना अग्रवाल (2017) लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डायमंड बुक्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 51-55।
4. धमोरा. (2018). भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
5. धमोरारमेश सर्राफ. (2018). स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कहने वाले तिलक पर लगा था राजद्रोह.



6. जहा, प.(2014). बाल गंगाधर तिलक का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है.”
7. लोकमान्य टिळक ने ही गणेश उत्सव की शुरुआत की।"पूर्ण स्वराज के लिए लड़ने वाले लोकमान्य टिळक का जन्म दिन है आज". पत्रिका समाचार समूह. १ अगस्त २०१४. मूल से अगस्त 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १ अगस्त २०१४.